संख्या- /2016/ /पॉच-6-2016-5(33)/07 टी.सी.

प्रेषक

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 29 सितम्बर, 2016

विषय:-वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद कानपुर में 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय के निर्माण हेतु रू0-4406.93 लाख की पुन: पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-9071/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 08.07.2016 तथा शासनादेश संख्या-170/पांच-1-2008-5(33)/07 टी.सी. दिनांक 26.03.2008, शासनादेश संख्या-871/पांच-1-2010-5(33)/07 टी.सी.-1 दिनांक 21.10.2010 व शासनादेश संख्या-2387/पांच-6-2013-07(बजट)/13 दिनांक 04.12.2013 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 26.03.2008 द्वारा जनपद कानपुर में 100 शैयया संयुक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण कार्य के लिये रू0-1411.50 लाख की मूल स्वीकृति निर्गत की गयी, उक्त शासनादेश दिनांक 21.10.2010 द्वारा रू0-3794.71 लाख की पुनरीक्षित स्वीकृति निर्गत की गयी। पुन: शासनादेश दिनांक 04.12.13 द्वारा रू0-4283.66 लाख की पुन: पुनरीक्षित स्वीकृति निर्गत की गयी। तदोपरान्त व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक दिनांक 14.06.16 में उक्त निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के लिये रू0-4406.93 लाख की पुर्न पुनरीक्षित लागत अनुमोदित की गयी।

2- अतएव व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुर्न पुनरीक्षित लागत के आधार पर जनपद कानपुर में 100 शैयया संयुक्त चिकित्सालय के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के लिये रू0-4406.93 लाख (रूपया चौवालिस करोड़ छ: लाख तिरानबे हजार मात्र) की पुर्न पुनरीक्षित प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति, निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 तथा शासनादेश संख्या-170/पांच-1-2008-5(33)/07 टी.सी. दिनांक 26.03.2008, शासनादेश संख्या-871/पांच-1-2010-5(33)/07 टी.सी.-1 दिनांक 21.10.2010 व शासनादेश संख्या-2387/पांच-6-2013-07(बजट)/13 दिनांक 04.12.2013 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा उक्त धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(3) व्यय वित्त समिति की शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(4) प्रश्नगत निर्माण कार्य समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके ही आरम्भ किया जायेगा।

(5) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(6) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था /विभाग का होगा।

(7) पी0एफ0ए0डी0 द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा ।

(8) प्रायोजनान्तर्गत् प्रस्तावित कार्यों की डूप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभाग की होगी।

(10) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(11) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य को 06 माह के अन्दर पूर्ण कर विभाग को हस्तगत कर दिया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें भविष्य में कोई लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं की जायेगी।

(12) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना में शामिल नहीं है और इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं प्राप्त है अथवा किया जायेगा।

(13) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति न हो।

3- यह आदेश वित्त विभाग के आ0शा0 संख्या- वित्त ई0-3-1352/दस-16 दिनांक 28 सितम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

व्या- 249 /2016/ 1708 (1)/पॉच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ।

4- अपर निदेशक (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।

5- संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ।

6- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, कानपुर नगर ।

7- अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।

8- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर ।

9- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, 100 शैयया संयुक्त चिकित्सालय, कानपुर नगर।

10-प्रबन्ध निदेशक, सी.एण्ड डी.एस. उ0प्र0 जल निगम, कानपुर नगर ।

11- परियोजना प्रबन्धक, सी.एण्ड डी.एस. उ0प्र0 जल निगम, कानपुर नगर ।

12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/ नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन ।

13- कार्यालय आदेश पुस्तिका।

14- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।

विभागीय वेब मास्टर।

आज्ञा से

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव।

संख्या- /2016/ /पाँच-6-16-07(उपकरण)/15

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 29 सितम्बर, 2016

विषय:- प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में स्थित पैथालॉजी लैब के उच्चीकरण/सुदृढीकरण हेतु उपकरणों के क्रय के लिये अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (भण्डार) के पत्र संख्या-8फ/क्यू.सी.-737/2845, दिनांक 11.08.2016 व शासनादेश संख्या-33/2016/2869/पॉच-6-15-07(उपकरण)/15, दिनांक 03.02.16 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 03.02.16 द्वारा राजकीय चिकित्सालयों में स्थित पैथालॉजी लैब के उच्चीकरण/सुदृढीकरण हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत कुल रू0-9,26,00,000.00 (रूपया नौ करोड़ छब्बीस लाख मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं उक्त की 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि रू0-4,63,00,000.00 (रूपया चार करोड़ तिरसठ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी, जिसमें संलग्न तालिका के कालम-2 में उल्लिखित 06 उपकरणों की स्वीकृति भी सम्मिलित है।

2- संलग्न तालिका के कालम-2 में उल्लिखित 06 उपकरणों के क्रय के लिये उच्च स्तरीय परीक्षण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर निदेशक (भण्डार) द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार संलग्न तालिका के कालम-7 में उल्लिखित विवरणानुसार कुल रू0-7,72,22,587.50 (रूपया सात करोड़ बहत्तर लाख बाईस हजार पाँच सौ सत्तासी पैसे पचास मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं संलग्न तालिका के कालम-8 में उल्लिखित विवरणानुसार मूल लागत व पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष अन्तर की कुल धनराशि रू0-20,22,587.50 (रूपया बीस लाख बाईस हजार पाँच सौ सत्तासी पैसे पचास मात्र) तथा उक्त शासनादेश दिनांक 03.02.16 द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि को समायोजित करते हुए उक्त पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष अवशेष कुल धनराशि रू0-3,96,22,587.50 (रूपया तीन करोड़ छियानबे लाख बाईस हजार पाँच सौ सत्तासी पैसे पचास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत उपकरणों का क्रय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 व शासनादेश संख्या-33/2016/2869/पॉच-6-15-07(उपकरण)/15, दिनांक 03.02.16 में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा और उक्त शासनादेश में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0, बैंक अथवा डाकघर में कदापि नहीं रखा जायेगा ।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि आवंटित की गयी है, इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन शासन की अनुमति लेकर ही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना इससे पूर्व अथवा भविष्य में किसी अन्य योजना के वित्त पोषण से नहीं किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत उपकरणों की गुणवत्ता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग/क्रयाधिकारी का होगा ।

(6) प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि इनके रखने हेतु पर्याप्त उचित स्थान एवं इनके संचालन हेतु दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध है।

(7) प्रश्नगत उपकरणों हेतु क्रय प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही धनराशि का आवश्यकतानुसार आहरण किया जाएगा ।

(8) धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा, यदि धनराशि अवशेष रहती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।

(9) इस सबंध में लेखों का मिलान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद से करके इसकी सूचना यथा समय शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 लेखा शीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-789- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-जिला एवं संयुक्त चिकित्सालयों तथा अन्य चिकित्सालयों के लिये उपकरणों का क्रय-26 मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या- 950 /2016/2021A (1)/पाँच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(3) संबंधित जिलाधिकारी।

(4) संबंधित कोषाधिकारी/कोषागार ।

(5) अपर निदेशक (नियोजन/बजट/विद्युत)/निदेशक (चिकित्सा उपचार/भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

(6) वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0, लखनऊ ।

(7) संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।

(8) संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ।

(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन ।

(10) कार्यालय आदेश पुस्तिका ।

(11) प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।

(12) विभागीय वेबमास्टर ।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-250/2016/2021A/पॉच-6-16-07(उपकरण)/15 तददिनांक29 सितम्बर, 2016 का संलग्नक

(धनराशि रूपया में)

क्र.सं	उपकरण का नाम	कुल प्रस्तावित उपकरणों की संख्या	अनुमानित लागत प्रति उपकरण	शासनादेश दिनांक 03.02.16 द्वारा स्वीकृत अनुमानित लागत	उच्च स्तरीय परीक्षण समिति द्वारा अनुमोदित प्रति उपकरण लागत	उच्च स्तरीय परीक्षण समिति द्वारा अनुमोदित लागत के आधार पर स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	अन्तर की कुल धनराशि (8-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Binocular Microscope	25	50000.00	12,50,000.00	41047.50	1026187.5	(+)223812.50
2	Semi-Auto Analyser	25	200000.00	50,00,000.00	194250.00	4856250.00	(+)143750.00
3	Haematology Analyser 20 Parameter	25	450000.00	1,12,50,000.00	324450.00	8111250.00	(+)3138750.00
4	Fully Computerized Biochemistry Analyser	25	2000000.00	5,00,00,000.00	1942500.00	48562500.00	(+)1437500.00
5	Electrolyte Analyser	16	200000.00	32,00,000.00	186900.00	2990400.00	(+)209600.00
6	Harmonal Analyser	03	1500000.00	45,00,000.00	3892000.00	11676000.00	(-)7176000.00
(क)			योग—	7,52,00,000.00		77222587.50	अन्तर की धनराशि कुल रू0-2022587.50
(ख)	शासनादेश दिनांक 03.02.16 द्वारा स्वीकृत मूल लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0- 37600000.00						
(ग)	कुल अवमुक्त धनराशि रू0 (क+ख):-रू0-39622587.50						

(रूपया तीन करोड़ छियानबे लाख बाईस हजार पॉच सौ सत्तासी पैसे पचास मात्र)

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- /2016/ /पाँच-6-16-07(उपकरण)/15

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 29 सितम्बर, 2016

विषयः- प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में स्थित पैथालॉजी लैब के उच्चीकरण/सुदृढीकरण हेतु उपकरणों के क्रय के लिये अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत पी0एल0ए0 में रक्षित धनराशि रू0-3,76,00,000.00 को आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (भण्डार) के पत्र संख्या-8फ/क्यू.सी.-737/2845, दिनांक 11.08.2016 तथा शासनादेश संख्या-33/2016/2869/पाँच-6-15-07(उपकरण)/15, दिनांक 03.02.16, शासनादेश संख्या-121/2016/847/पाँच-6-16-07(उपकरण)/16, दिनांक 31.03.16 व शासनादेश संख्या-207/2016/1491/पाँच-6-16-07(उपकरण)/16, दिनांक 21.07.16 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 03.02.16 द्वारा राजकीय चिकित्सालयों में स्थित पैथालॉजी लैब के उच्चीकरण/सुदृढीकरण हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत कुल रू0-9,26,00,000.00 (रूपया नौ करोड़ छब्बीस लाख मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं उक्त की 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि रू0-4,63,00,000.00 (रूपया चार करोड़ तिरसठ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए उक्त शासनादेश दिनांक 31.03.16 व 21.07.16 द्वारा प्रश्नगत अवमुक्त धनराशि को वित्त अधिकारी किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के नाम से खुले पी0एल0ए0 खाता संख्या-8448-स्थानीय निधियों की जमा-00-110-शिक्षा निधियों में रखने की अनुमति प्रदान की गयी है। उक्त पी0एल0ए0 में रक्षित धनराशि में से रू0-3,76,00,000.00 (रूपया तीन करोड़ छिहत्तर लाख मात्र) को वित्त अधिकारी, किंगजार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के नाम से खुले पी0एल0ए0 खाता सं0-8448-स्थानीय निधियों की जमा-00-110-शिक्षा निधियों से आहरित करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त के संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 की शर्तो एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि को पी0ए0एल0, बैंक अथवा डाकघर में कदापि नहीं रखा जायेगा ।

(3) धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा । यदि धनराशि अवशेष रहती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।

(4) इस सबंध में लेखों का मिलान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद से करके इसकी सूचना यथा समय शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(5) शेष शर्ते शासनादेश संख्या-33/2016/2869/पॉच-6-15-07(उपकरण)/15, दिनांक 03.02.16, की यथावत रहेंगी।

2- यह आदेश वित्त विभाग के आ0शा0 संख्या- वित्त ई0-3-1359/दस-16 दिनांक 29 सितम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या-251 /2016/2021B (1)/पॉच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) संबंधित जिलाधिकारी।
(4) संबंधित कोषाधिकारी/कोषागार ।
(5) अपर निदेशक (नियोजन/बजट/विद्युत)/निदेशक (चिकित्सा उपचार/भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0, लखनऊ ।
(7) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ ।
(8) प्राचार्य /रजिस्ट्रार, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0, लखनऊ।
(9) वित्त नियंत्रक, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0, लखनऊ।
(10) संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
(11) संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ।
(12) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4 ।
(13) कार्यालय आदेश पुस्तिका ।
(14) प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में। /वेबमास्टर हेतु।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या- 951 /2016/ 2021 B /पाँच-6-16-07(उपकरण)/15 तददिनांक 29 सितम्बर, 2016 का संलग्नक

(धनराशि रूपया में)

क्र. सं.	उपकरण का नाम	उपकरणों की संख्या	शासनादेश दिनांक 03.02.16 द्वारा प्रति उपकरण स्वीकृत लागत	शासनादेश दिनांक 03.02.16 द्वारा कुल स्वीकृत लागत
1	2	3	4	5
1	Binocular Microscope	25	50000.00	12,50,000.00
2	Semi-Auto Analyser	25	200000.00	50,00,000.00
3	Haematology Analyser 20 Parameter	25	450000.00	1,12,50,000.00
4	Fully Computerized Biochemistry Analyser	25	2000000.00	5,00,00,000.00
5	Electrolyte Analyser	16	200000.00	32,00,000.00
6	Harmonal Analyser	03	1500000.00	45,00,000.00
क			योग -	7,52,00,000.00
ख			पी0एल0ए0 में रक्षित 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि	3,76,00,000.00

(रूपया तीन करोड़ छिहत्तर लाख मात्र)

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।